वार्षिक रिपोर्ट 2016-17
ANNUAL REPORT 2016-17

Now find us wherever you are

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)

Where every individual is committed

विषय-सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	1–3
निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	4–5
सूचना Notice	6–18
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	19–23
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	24–44
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2017 Pillar III Disclosures under Basel III - March 2017	45–96
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	97–135
कारोबार दायित्वता रिपोर्ट Business Responsibility Report	136–149
तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	150–151
लेखा टिप्पणियां 1- 18 Schedules 1 - 18	152–206
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	207–209
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	210–211
फॉर्म Forms	

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक का संदेश
Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 23 वीं आम बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैं व्यापक आर्थिक परिवेश का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य–निष्पादन किया है**: -**

आर्थिक पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर 7.1% रही। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा तथा मुद्रा स्फीति सामान्य तौर पर नियंत्रित रहीं। अप्रैल,16 से फरवरी, 17 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में केवल 0.4% की वृद्धि दर्ज की जबकि निर्यात में वित्तीय वर्श, 17 के दौरान 4.71% की वृद्धि (डॉलर में) दर्ज की गई। साथ ही, कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे विनिर्माण, पॉवर व लौह तथा इस्पात दबावग्रस्त रहे यद्यपि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में जल्द सुधार हेतु अनेक कदम उठाएं हैं।

अब, मैं आपके समक्ष वित्तीय वर्ष, 17 के लिए बैंक के कारोबार की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करता हूं:–

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने ₹ 3,85,777 करोड़ का कुल कारोबार करते हुए 6.41% की वृद्धि दर्ज की जिसमें जमा एवं कुल अग्रिम में क्रमशः 4.99% एवं 8.33% की वृद्धि हुई।
- कासा जमा राशियों में 26.95% तथा खुदरा सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ से कम) में 8.20% की वृद्धि हुई।
- जमाराशियों की लागत (वित्तीय वर्ष 2015-16) के 7.19% से घटकर (वित्तीय वर्ष 2016-17 में) 6.33% हो गई।
- वित्त के महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा ऋण, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) रहे, कुल अग्रिम पोर्टफोलियो में इनका कुल अंश 31.03. 2016 के 46% की तुलना में 31.03.2017 को बढ़कर 48% रहा है।
- बैंक के कुल आरएएम पोर्टफोलियो में 31.03.2017 के अनुसार खुदरा ऋण में 37.15% की वृद्धि हुई और ये 31.03.2016 के कुल अग्रिम के 12.12% की तुलना में 31.03.2017 को 15.34% हो गए।
- 31.03.2017 को आपके बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम न्यूनतम नियामक आवश्यकता 40% से अधिक होकर समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) का 41.23% रहा।
- 31.03.2017 का कुल एनपीए स्तर 13.73% तथा निवल एनपीए स्तर 8.96% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए परिचालनगत लाभ 13.26% बढ़कर ₹4170 करोड़ हो गया। तथापि बड़े स्लिपेज के कारण किए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की निवल हानि ₹1094 करोड़ रही।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 23rd Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2017.

Before I present the performance highlights of the Bank, I would like to place before you the macro-economic environment in which your Bank has performed during the year gone by**: -**

ECONOMIC BACKGROUND

Indian Economy recorded GDP growth of 7.1% during FY 2016-17. Fiscal deficit, current account deficit & inflation were generally contained. Industrial production grew by only 0.4% during Apr'16 to Feb'17 period though Exports grew by 4.71% (in Dollar terms) during FY'17. Further, certain key Sectors like Infrastructure, Power and Iron & Steel continued to remain under stress though the Government of India has initiated various steps for early resolution of the issues plaguing these sectors.

Now, I would like to present before you the Performance Highlights of the Bank for FY'17**: -**

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- During FY'17, your Bank achieved a Business Mix of ₹ 3,85,777 Crores registering a growth of 6.41%; with Deposits and Gross Advances growing by 4.99% and 8.33% respectively
- CASA deposits grew by 26.95% and Retail Term Deposits (below ₹1 Crore) by 8.20%
- Cost of Deposits was reduced from 7.19% (during FY'16) to 6.33% (during FY'17)
- Thrust Area for Advances continued to be Retail, Agriculture & MSME (or RAM) Advances; which, as of 31.03.17, constituted 48% of total Advances portfolio – up from 46% as on 31.3.16
- Out of Bank's total RAM portfolio, Retail Credit grew by 37.15% and as of 31.03.17, it constituted 15.34% of total Advances against 12.12% as of 31.03.16
- Priority Sector (PS) Advances of your Bank were above the minimum regulatory requirement of 40% and stood at 41.23% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as on 31.03.17
- Gross NPA level stood at 13.73% and Net NPA level at 8.96% as on 31.03.17
- Operating Profits grew by 13.26% during FY'17 to ₹ 4170 Crores. However, due to increase in provisions & contingencies mainly on account of higher slippages, Bank registered a Net Loss of ₹ 1094 Crores during FY'17

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार एवं प्रति शाखा कारोबार दोनों में और वृद्धि हुई तथा ये 31.03.2017 को क्रमशः ₹17.90 करोड़ एवं ₹162.36 करोड़ तक पहुंच गए।
- 31.03.2017 को टियर–1 अनुपात 8.88% के साथ आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.64% रहा।
- 31.03.2017 को आपके बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य ₹365.70 रहा।
- सरकार द्वारा की गई पहल के अनुरूप आपके बैंक ने वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से लेन–देन बढ़ाने की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचान की है तथा मुझे पुष्टि करते हुए हर्ष है कि इनके स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और 31.03.2017 को इसका स्तर 54.51% हो गया है।
- साथ–साथ, बैंक ने अपने ऑनसाइट डिलीवरी चैनलों का भी विस्तार किया है, जिससे 31.03.2017 को इनकी संख्या (2,376 शाखाओं एवं 2,621 एटीएम के साथ) कुल 4,997 हो गई है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

आपका बैंक भारत सरकार और आरबीआई के विभिन्न वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को पूरे मनोयोग से लागू कर रहा है। समाज के गैर–बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने 31.03.17 तक प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 39.61 लाख खाते खोले हैं और इनमें से 93% से अधिक खातों में रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्यम (जो विभाजित हैं एवं अधिकांशतः अवित्तपोषित हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और जीवंत घटक है) को अति आवश्यक ऋण देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने अभियान स्तर पर काम किया है और मुझे आपको सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सरकार के प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत आबंटित ₹1800 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है।

भारत सरकार के अन्य वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि के लिए आगे भी बैंक का सहयोग बना रहेगा।

नई संगठनात्मक संरचना

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आपके बैंक ने चयनित उद्देश्यों यथा (i) व्यवसाय और लाभप्रदता के मामले में बैंक का विकास, (ii) सभी स्तरों पर अपने अनुपालन स्तर में सुधार, और (iii) अपनी पहुँच के व्यापक विस्तार, के साथ नई संगठनात्मक संरचना के क्रियान्वयन को पूर्ण किया है। व्यापक रूप से, इन उद्देश्यों को पूरे कार्यबल को वर्टिकल में वर्गीकृत करके प्राप्त किया जा रहा है; जो परिणामतः अच्छी तरह से परिभाषित व्यापार के अवसरों पर सूक्षमता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एवं जिन्हें विभिन्न सहयोगी वर्टिकलों द्वारा भरपूर सहायता मिल रही है।

दक्षता निर्माण

नई संगठनात्मक संरचना के बाद कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण पर नए सिरे से अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैंक के सभी 6 मानव संसाधन विकास संस्थान (एचआरडीआई) हाल ही में अपनाई गई अभिनव पद्धतियों जैसे ई–लर्निंग, केस स्टडीज, रोल प्ले, प्रतिभागियों द्वारा समूह प्रस्तुति आदि के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्देश प्रदान कर रहे हैं। ऐसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा कुल 90,203 प्रशिक्षण दिवस संचालित किए गए। इसके अलावा, कर्मचारियों के सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, 6 एचआरडीआई में से 3 ने मार्च के अंत तक आईएसओ प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया है।

- Business per Employee and Business per Branch both grew further during FY'17 and touched figures of ₹17.90 Crores and ₹162.36 Crores respectively as on 31.03.17
- Capital Adequacy of your Bank stood at 11.64% as of 31.03.17; with Tier-1 Ratio being 8.88%
- Book value per share of your Bank was ₹ 365.70 as of 31.03.17
- In line with the Govt. initiatives, your Bank has identified increasing the volume of transactions through Digital Channels as one of its top priorities and I am pleased to confirm that their level has been recording a continuous increase – touching level of 54.51% as of 31.03.17
- Concurrently, Bank continued to augment its Onsite Delivery Channels too; with their total number touching 4997 as of 31.03.17 (comprising of 2376 Branches and 2621 ATMs)

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMMES

Your Bank has been vigorously implementing various Financial Inclusion programmes of the Government of India and RBI. With the objective of bringing Banking services to the doorstep of the un-banked segment of the Society, your Bank has opened 39.61 Lac accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) till 31.03.17 and in more than 93% of these accounts, RuPay Cards have also been issued. Further, to meet the objective of delivering much-needed Credit to the Micro Enterprises (which constitute a fragmented & largely unfunded, yet a vital & vibrant component of our economy at the grass-root level); your Bank has worked in Campaign mode and I am pleased to inform you that your Bank has surpassed the target of ₹ 1800 Crores allotted to it under Govt's Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during FY'17.

Other Financial Inclusion programmes of GoI such as Pradhan Mantri Bima Yojanas, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc continue to be supported by the Bank.

NEW ORGANIZATION STRUCTURE

During FY'17, your Bank has completed implementation of new structure with the select objectives of (i) growing the Bank in terms of business & profitability, (ii) improving its levels of compliances across the board, and (iii) significantly expanding its outreach. Broadly, these objectives are being achieved by segmenting the entire workforce into Verticals; which, in turn, are sharply focused on well-delineated Business opportunities and which are ably-assisted by various Support Verticals.

CAPACITY BUIDLING

To keep pace with the changes in employees' learning-requirements following implementation of new organization structure, your Bank has renewed its focus on Capacity Building during the year. All the 6 Human Resource Development Institutes (HRDIs) of the Bank are actively imparting instruction through recently-adopted innovative methodologies such as E-learning, Case-studies, Role plays, Group presentations by the participants, etc. As a result of this focused approach, all the HRDIs together logged a total of 90,203 Training Man Days during FY'17. Further, with a view to augment the quality of their learning processes, 3 out of the 6 HRDIs have already secured ISO certification by the end of March.

भावी योजना

हाल ही में, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 को अधिसूचित किया है। यह अध्यादेश आरबीआई को दिवालिया और दिवालियापन संहिता के तहत चूक करनेवाली कंपनियों के विरूद्ध बैंकों को दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, आरबीआई अन्वेक्षा समिति की स्थापना/विस्तार करेगा ताकि बैंक दबाव ग्रस्त आस्तियों से अधिक प्रभावशीलता के साथ निपट सके जिसके कारण वर्तमान में इस क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो गया है।

इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से कार्यान्वित होने की उम्मीद है, जो कई केंद्रीय और राज्य करों और लेवी की जगह लेगा और हमारे देश को एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बना देगा जिसके परिणामस्वरूप मध्य से दीर्घकालिक अवधि में अर्थव्यवस्था में समग्र विकास होगा। एक पर्यवेक्षक के रूप में इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए यह – देश का स्वयं के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर है।

देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के साथ यह उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र का विकास भी पुनः होगा। आपका बैंक पहले से ही अपेक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक अपने कासा जमा, रैम पोर्टफोलियो को बढ़ाने, वसूली और उन्नयन को अधिकतम करने और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के उपयोग को बढ़ाने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं इस अवसर पर श्री प्रशांत गोयल (भारत सरकार के नामिति निदेशक), श्री हिमांशु जोशी (कार्यकारी निदेशक) और श्रीमती माला श्रीवास्तव एवं श्री संजय कपूर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) का स्वागत करता हूँ, जो वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं।

मैं, श्री अरुणीश चावला (भारत सरकार के नामिति निदेशक), श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला (अधिकारी निदेशक) और श्री किंग्शुक भट्टाचार्या (कर्मकार निदेशक) द्वारा बैंक में दिए गए मूल्यवान योगदानों के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ, जो वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल से निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हुए हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और मेरी अपनी ओर से, मैं बैंक और प्रबंधन में उनका विश्वास दिखाने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों को अपना आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनके समर्पण और हमारे निष्ठावान ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग और संरक्षण की अपेक्षा रखता हूँ।

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

LOOKING FORWARD

Recently, Government of India has notified the Banking Regulation (Amendment) Ordinance 2017. This Ordinance enables RBI to direct the Banks to initiate bankruptcy proceedings against defaulting companies under the Insolvency & Bankruptcy Code. Further, RBI will also set-up/ expand the Oversight Committee to enable the Banks to more effectively deal with the stressed assets that are currently choking the sector.

Further, Goods & Service Tax (GST) is expected to be implemented from 1st July 2017, which is going to replace multiple central and state taxes & levies and make our country a seamless national market that would result in an all-around growth of the economy in mid- to long-term. As an observer put it succinctly – it would be like the country signing a Free Trade Agreement with itself!

With the implementation of various policy initiatives, already undertaken by Government of India & RBI to boost the country's economy; it is expected that banking sector growth will also rebound. Your Bank has already positioned itself well in order to tap into this expected growth.

During the current financial year, Bank would further intensify its focus on increasing its CASA Deposits, augmenting its RAM Portfolio, maximizing the Recoveries & Up-gradations and boosting the usage of Digital Banking channels.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Shri Prashant Goyal (Government of India Nominee Director), Shri Himanshu Joshi (Executive Director) and Smt Mala Srivastava & Shri Sanjay Kapoor (Part-time Non-Official Directors), who joined the Board of Directors of the Bank during the year.

I would also like to place on record our appreciation for valuable contributions made to the Bank by Shri Arunish Chawla (Government of India Nominee Director), Shri Narendra J Kotiawala (Officer Employee Director) & Shri Kingshuk Bhattacharya (Workmen Employee Director); who laid down office as Directors of the Board of the Bank during FY'17.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I express my sincere gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Bank & the Management. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and patronage in future also.

Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Animesh Chauhan
Managing Director & CEO

श्री राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Rajkiran Rai G.
Executive Director

श्री हिमांशु जोशी
कार्यकारी निदेशक
Sh. Himanshu Joshi
Executive Director

श्री प्रशांत गोयल
Sh. Prashant Goyal

श्री एस. गणेश कुमार
Sh. S. Ganesh Kumar

श्री संजय कपूर
Sh. Sanjay Kapoor

श्रीमती माला श्रीवास्तव
Smt. Mala Srivastava

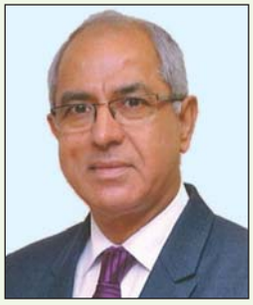

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

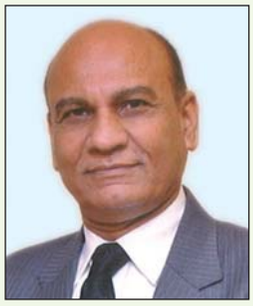

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
Sh. Dinesh Kumar Agrawal

शीर्ष प्रबंधन वर्ग / Top Management Team

श्री एस. के. गोयल
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. S.K. Goyal
Chief Vigilance Officer

श्री के. के. आचार्य
Sh. K.K. Acharya

श्रीमती विद्यावती रूद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री नवलीन कुन्द्रा
Sh. Navleen Kundra

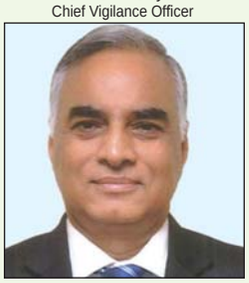

श्री एम. एल. सचदेवा
Sh. M.L. Sachdeva

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री मनोज सक्सेना
Sh. Manoj Saxena

श्रीमती शशि जैन
Smt. Shashi Jain

श्री टी. आर. लखानी
Sh. T.R. Lakhani

श्री एस. पी. चुघ
Sh. S.P. Chugh

श्री एस. सी. दास
Sh. S.C. Das

श्री पी. श्रीधर
Sh. P. Sreedhar

श्री एच. के. बत्रा
Sh. H.K. Batra

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

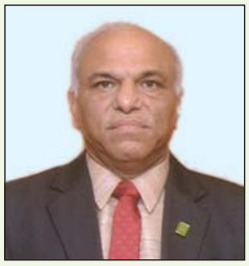

श्री के. ए. सलारिया
Sh. K. A. Salaria

श्री जितेन्दर मोहन
Sh. Jitender Mohan Singh

श्री आर. के. गोगना
Sh. R.K. Gogna

श्री अशोक छाबड़ा
Sh. Ashok Chhabra

श्री सुरिंदर सिंह
Sh. Surender Singh

श्री एम. एम. धुप्पर
Sh. M.M. Dhupar

श्री अश्विनी कुमार
Sh. Ashwani Kumar

श्री बी. जी. संधिबिग्रह
Sh. B.G. Sandhibigraha

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 29 जून, 2017 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2017 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियमन/दिशा–निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयधारकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/ या निर्गम के उस

NOTICE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 29th June 2017 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/ laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with

भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/ और/ या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमियादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को अधिकतम **₹5000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), अधिनियम** की धारा 3 (2 ख) के अनुसार अथवा संशोधन, यदि कोई हो, के अनुसार बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के साथ बैंक की अधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/ बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि–आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/ हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य /मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों,

provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, may be issued for an amount not exceeding ₹5000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the bank as per section 3 (2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank (as per the extant prevailing directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/other securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement, or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms

नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ़आईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में, बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

क) सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसे प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।''

and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank, (as per the extant prevailing directive of Government of India) to Qualified Institutional Buyers (QIBs) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."